

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
26-9-19	<p>आज्ञा यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित / अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री <u>महेन्द्र सिंह देव सिंह</u> पुत्र श्री <u>बच्चन सिंह</u> जाति <u>भयलिय</u> निवासी <u>4.N.2 P.7</u> में फसल रबी/खरीफ सम्मत / सन <u>2016</u> में गांव/चक <u>4.N.2 P.</u> सिंचित / असिंचित कुल <u>4.478</u> हैक्टेयर आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित/अनुपस्थित उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है। अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की <u>50</u> गुणा पेनल्टी राशि <u>रु0.1791</u> अखरे रूपये <u>53 हजार सात सौ 91</u> मात्र अधिरोपित की जाती है।</p> <p><u>भू0 अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावेँ टी.आर.ए को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावेँ पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसुली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावेँ।</u></p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><u>T</u> तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर</p>	

